

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275200
SG-DL-E-05082026-275200असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 146
No. 216]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948	[N. C. T. D. No. 146

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

फा. सं. 11/58/गृह-डीओपी/2025/639-651.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री जोहेब हुसैन, माननीय अधिवक्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 14.10.2025 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 403/406/120ख, पुलिस थाना ईओडब्ल्यू के अंतर्गत एफआईआर संख्या 124/25, दिनांक 03.10.25 के मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
प्रति उपस्थिति शुल्क	1,10,000 /— रुपये
सम्मेलन शुल्क	20,000 /— रुपये
विचारण शुल्क	20,000 /— रुपये
प्रारूपण शुल्क	50,000 /— रुपये
लिपिकीय	10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल०के० गौतम, उप सचिव (गृह—डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th July, 2026

F. No. 11/58/H-DOP/2025/ 639-651.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Zoheb Hossain, Ld. Advocate, as Special Public Prosecutor to represent the state in case FIR NO. 124/25 dated 03.10.25 u/s 120 B IPC r/w Sec 403/406/120 B IPC, PS EOW on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 14.10.2025:—

Detail of work	Proposed Fee
Fee per appearance	Rs. 1,10,000/-
Fee for conference	Rs. 20,000/-
Fee for opinion	Rs. 20,000/-
Fee for drafting	Rs.50,000/-
Clerkage	At 10%

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor
Of The National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-DOP)